eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 02, July 2022

भारत में महिला सशक्तीकरण पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में

[1]डा0 ऊषा देवी वर्मा
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, वी.एम.एल.जी.कॉलेज,गाजियाबाद

Received: 10 July 2022, Accepted: 20 July 2022, Published with Peer Reviewed on line: 31 July 2022

Abstract

किसी भी ग्राम अथवा नगर के विकास के लिए सबसे बड़ा संसाधन वहां के लोग है। विकास की समस्याओं का हल समाज द्वारा ही संभव है। ग्राम अथवा नगर का विकास तब तक सम्भव नहीं हो पायेगा, जब तक कि उसमें स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित न हो। क्योंकि स्थानीय स्तर की समस्याओं व उनके समाधान की बेहतर जानकारी उन्हीं के पास होती है। सशक्तीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। इस दृष्टि से देखें महिला का सशक्तीकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसता पूर्ण विकास तभी सम्भव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए, उन्हें पुरूषों के साथ – साथ विकास का सहभागी माना जाएं। महिलाएं भारत की आबादी का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा है, इसलिए यह आवश्यक है कि सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएं और उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाय। इसके लिए पितृसत्तामक सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है, साथ ही यह भी आत्मसात करना होगा कि महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में किये सभी प्रयास पुरूष विरोधी नही हैं वरन् यह विकास का अनिवार्य घटक है। यह प्रयास महिलाओं के साथ–साथ सम्पूर्ण समाज के सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है क्योंकि जब तक आधी आबादी का सशक्तीकरण नहीं होगा तब तक पूरे समाज का सशक्तीकरण संभव नही है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता राष्ट्र के संतुलित एंवम् समावेशी विकास को बढ़ावा देगी जिससे भारतीय लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी।

शब्द संक्षेप– महिला सशक्तीकरण, पंचायती राज संस्थाएं, विकास, स्थानीय समस्याएं।

Introduction

महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता को समाहित करते हुए सामाजिक सेवाओं में समान अवसर राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा देने का अधिकार आदि प्रदान करने से है। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं में आत्मशक्ति के बारे में चेतना जागृत की जाए जिससे न केवल महिलाओं का कल्याण होगा बल्कि वे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास की प्रवर्तक भी बन सकेंगी। एक सशक्त महिला न केवल स्वयं अपने लिए वरन् समाज के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। महिला सशक्तीकरण का प्रश्न वैश्विक समुदाय के समक्ष एक चुनौती का विषय बना हुंआ है। लैंगिक समानता आज केवल राजनीति और सार्वजनिक जीवन में मानवता का

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 02, July 2022

समावेश करने के लिए ही महत्वपूर्ण नही है, बल्कि दुनिया में अपनी मानवीय अस्मिता को पुनर्परिभाषित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में पं0 जवाहर लाल नेहरु ने कहा था कि यदि जनता में जागृति पैदा करनी है तो महिलाओं में जागृति पैदा करो, क्योंकि एक बार जब वे आगे बढ़ती हैं तो एक परिवार आगे बढ़ता है, गाँव तथा शहर आगे बढ़ता है, स्वयं देश आगे बढ़ता है।''

महिला की सुदृढ़ व सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध तथा मजबूत समाज की द्योतक होती है। जहाँ तक भारत का संबंध है, यहाँ 'यंत्र नार्यस्तु पूज्यते रमंते तत्र देवता'' का सूत्र वाक्य पौराणिक काल से मान्य रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, नारी को पुरूष के समान अधिकार प्रदान किया गया था । यहाँ तक कि शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी नारी को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी किंतु मध्य काल एवं इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक इनकी स्थिति संतोषजनक नहीं रही है तथा महिलाओं को निम्न श्रेणी में रखकर समाज के हर स्तर पर यातनापूर्ण और असमान मानवीय संबंधों को प्रोत्साहन दिया गया। हालांकि महिलाओं की इस स्थिति का विरोध हुआ है। विशेषकर भक्ति आन्दोलन के दौरान मध्यकालीन संतों और समान सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान के प्रश्न का मामला उठाया था, परन्तु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में उदारवादी विचारों और कुछ मामलों में ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में कई सुधारवादी आन्दोलन का अविर्भाव हुआ। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज तथा अन्य अनेक आन्दोलनों ने महिलाओं के प्रति अन्याय का प्रश्न उठाया। जैसा कि सर्वविदित है कि राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह और सती प्रथा की भर्त्सना की और महिला उद्धार के लिए कार्य किया। 19वीं शताब्दी में सरकार द्वारा कई सामाजिक कानून पारित हुए जैसे– 1829 में सती प्रथा उन्मूलन, विधवापुनर्विवाह अधिनियम (1856), सिविल मैरिज अधिनियम (1872)। 19वीं शताब्दी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता लड़कियों की शिक्षा का प्रयास था।

राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान भी भारतीय महिलाओं की छुपी हुई असीम क्षमता को बाहर आने का अवसर मिला। गाँधी जी ने महिलाओं को पर्दा त्यागकर राजनीति में भाग लेने का आह्वान किया था। उनका कहना था कि ''महिलाओं को कमजोर कहना उनका अपमान है, यह पुरुषों का महिलाओं के प्रति अन्याय है।'' 1917 में एक महिला प्रतिनिधिमंडल ने भारत सचिव से मिलकर महिला मताधिकार की माँग की। 1927 में महिला कल्याण और विकास के लिए 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन' की स्थापना की गई। समाज सुधार और राष्ट्रीय आन्दोलन के फलस्वरूप महिलाओं की दुर्दशा और उनके उद्धार के संबंध में जागरूकता आई, लेकिन सामान्यतया उनके प्रति सामाजिक व्यवहार में कोई विशेष अन्तर नहीं आया विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कानूनों के बावजूद संपत्ति, विरासत जैसे कानून अभी भी महिलाओं के विरुद्ध हैं। आमतौर पर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वे सामाजिक–आर्थिक प्रक्रिया की मुख्यधारा में सम्मिलित नहीं थी तथा वास्तव में समाज में उन्हें उचित स्थान प्राप्त नहीं था, किंतु स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में किये गये अनेक प्रावधानों के कारण आज भारत की महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है। महिला सशक्तीकरण की पहल सर्वप्रथम 1985 में नैरोबी में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में की गयी थी। इसके बाद विश्व के

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 02, July 2022

सभी भागों में इसने एक आन्दोलन का रूप ले लिया। महिला सशक्तीकरण का सामान्य अर्थ है– महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना। परन्तु व्यापकता में इसका अभिप्राय सत्ता–प्रतिष्ठानों एवं जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की साझेदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तीकरण का एक बड़ा मानक कहा जा सकता है। इस प्रकार महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वायत्तता से है। भारत में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न प्रशासनिक, वैधानिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ भारतीय पंचायती राज व्यवस्था ने महिला सशक्तीकरण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के बाद महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इन संशोधनों के द्वारा महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं, एवं नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान महिला सशक्तीकरण तथा निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता की वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। आरक्षण का अभिप्राय समाज में शोषण व असमानता का शिकार रही जनसंख्या को संरक्षणात्मक अवसर देना है जिससे वे भविष्य में निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनें और कालांतर में लोकतांत्रिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण एवं सक्रिय हिस्सा बनें।

भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत पंचायती राज ने महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया है किंतु सशक्तीकरण की मात्रा, क्षेत्र एवं परिस्थितियाँ भिन्न रही हैं। जिन पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधि स्वयं पंचायत के मामलों को देखती हैं, निर्णय प्रक्रिया में पूर्ण सक्रियता से भाग लेती है और समुदाय के विकास कार्यक्रमों को बाहरी एजेंसियों से सक्रियता से करवा पाती हैं, तो कहा जा सकता है कि उन महिला प्रतिनिधियों का पूर्ण सशक्तीकरण हुआ है। दूसरी ओर अगर महिला प्रतिनिधि अपने घर से स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं आती, घूँघट नहीं हटा पाती और अपने पति या संबंधी के कहने पर ही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती हैं, तो कहा जा सकता है कि उन महिला प्रतिनिधियों का सशक्तीकरण नहीं हुआ है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में अभी भी ये दोनों ही स्थितियाँ देखने को मिलती है। इस प्रकार सशक्तीकरण का परिमाण विभिन्न स्थानों एवं परिस्थितियों में भिन्न रहा है। किन्तु वर्तमान में यह प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि पंचायती राज की महिला प्रतिनिधि अकेले सार्वजनिक क्षेत्रों एवं अपने कार्यालयों में जाने लगी हैं, पुरुष प्रतिनिधियों के साथ कुर्सियों पर बैठने लगी हैं, सार्वजनिक चर्चाओं में हिस्सा लेने लगी हैं और ये सभी कदम उनके सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। निकट भविष्य में पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता एवं शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार शैक्षिक सशक्तीकरण होने से अगली पीढ़ी की महिला प्रतिनिधि बेहतर शिक्षित होगी और पंचायत के मामलों को बेहतर तरीके से संभाल सकेगी। देश के विभिन्न भागों में इन संस्थाओं पर हुए अध्ययन एवं प्रतिवेदन महिलाओं के प्रदर्शन एवं अनुभव को प्रदर्शित करते हैं। इससे इनकी नयी पहचान, मान्यता, विश्वास, प्रदर्शन एवं प्रभावी सहभागिता प्रदर्शित होती है। अब तक की प्रगति यह प्रदर्शित करती है कि ग्रामीण भारत की महिलाओं में चेतना, जागरूकता, ज्ञान, विश्वास, आकांक्षाएं, स्व–बोध, सहभागिता, पंचायत एवं बाहरी नेतृत्व, पंचायतों एवं स्वयं पर पड़ने वाले प्रभावों के मामलों में पंचायती राज ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस प्रकार महिला सशक्तीकरण ने ग्रामीण समुदायों को भी सशक्त किया है क्योंकि महिला

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 02, July 2022

सशक्तीकरण ने गाँवों के कमजोर वर्गों को भी सशक्त किया है। राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं में महिला की भागीदारी से शासन की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। इनकी भागीदारी नागरिक समाज के उन्नयन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा, आर्थिक तथा जीविका से जुड़े मुद्दों में ज्यादा है क्योंकि इनका प्रत्यक्ष संबंध महिलाओं से है और ये महिला सशक्तीकरण के सशक्त माध्यम हैं।

पंचायती राज के माध्यम से हुए महिला सशक्तीकरण से ग्रामीण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं। उनमें अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत बढ़ी है। उनके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आया है। उनमें आत्मविश्वास एवं जोश बढ़ा है एवं रचनात्मक कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। पंचायती राज ने महिला सशक्तीकरण द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संसद व राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण के लिए आधार तैयार किया है। उल्लेखनीय है कि 73वें एवं 74वें संशोधन विधेयकों से महिलाएं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त हुई हैं। अब वे राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण के लिए तैयार हैं। इस व्यवस्था ने महिला सशक्तीकरण एवं राजनीतिक सहभागिता के एक नये युग का सूत्रपात किया है। पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं के न केवल निर्णय निर्माण क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है, बल्कि विकेन्द्रीकृत नियोजन में विकास कार्यक्रम के प्रशासन, क्रियानवयन एवं नियोजन में सक्रिय सहभागिता भी प्रदान की है। पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्र की वंचित (दलित) वर्ग की महिलाओं को परिवार, जाति एवं समाज में उच्च स्थिति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, क्योंकि इनमें बीपीएल एवं कमजोर तबके की महिलाएं भी निर्वाचित हो रही हैं, इसलिए उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण हो रहा है।

पंचायतों में सहभागिता से महिलाओं ने शिक्षा के महत्व को पहचाना है क्योंकि शिक्षा के अभाव में उन्हें इन संस्थाओं में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वे स्वयं महसूस करती हैं कि अगर वे शिक्षित होती तो इन संस्थाओं में बेहतर तरीके से कार्य संपादन एवं सहभागिता कर पातीं। उनकी इस सोच ने ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया है, जो आज की आवश्यकता है। महिला प्रतिनिधि गरीबी, असमानता, लैंगिक भेदभाव, नशाखोरी, स्वास्थ्य, शिक्षा घरेलू हिंसा आदि मुद्दों को उठाकर ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय शासन की प्रकृति व दिशा को परिवर्तित कर रही हैं। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन को 'क्रांतिकारी कदम' कहा जा सकता है क्योंकि इनके द्वारा पहली बार स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह आरक्षण न केवल सदस्यों के स्तर पर बल्कि सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख के पदों पर भी सुनिश्चित किया गया है। वर्तमान में करीब 10 लाख महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित होकर अपनी सक्रिय सहभागिता निभा रही हैं। उल्लेखनीय है कि इन ग्रामीण महिलाओं में कमजोर एवं वंचित तबके की महिलाएँ भी शामिल हैं, क्योंकि संविधान में ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था के कारण इन वर्गों की महिलाएं इन संस्थाओं में भाग लेकर लोकतंत्र एवं महिला सशक्तीकरण को वास्तविक रूप में साकार कर रही हैं। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए ऐच्छिक प्रावधान होने के कारण राज्य सरकारों ने भी एक

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 02, July 2022

तिहाई आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान किया है। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को देखते हुए राजस्थान, बिहार एवं केरल सहित कुछ अन्य राज्यों ने महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। उल्लेखनीय है कि अब बिहार जैसे कई राज्यों में महिलाओं की भागीदारी पंचायती राज संस्थाओं में 60 प्रतिशत से ज्यादा कर दिया है, क्योंकि कुछ महिलाएं सामान्य (पुरुष योग्य) सीटों पर भी निर्वाचित हो रही हैं। 73वें संविधान संशोधन का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को ज्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि ये सामान्य महिला की सीट पर भी निर्वाचित हो रही हैं। यह एक अच्छा कदम है क्योंकि इन वर्गों की महिलाएं ही समाज में ज्यादा पिछड़ी एवं शोषित रही हैं।

निष्कर्षतः देश के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण महिला सशक्तीकरण अतिआवश्यक है और इसी कारण देश के विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं को मुख्यधारा में लाना है। ग्रामीण महिला सशक्तीकरण ग्रामीण भारत के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं का सशक्तीकरण, जीवन के सभी क्षेत्रों में, सतत् विकास, पारदर्शी एवं उत्तरदायी सरकार एवं प्रशासन के लिए आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं एवं पुरुषों की समान भागीदारी ग्रामीण समाज एवं देश के संतुलित विकास को बढ़ावा देगी। जिससे अन्ततः भारतीय लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं की सभी स्तरों पर निर्णय एवं नीति–निर्माण तथा क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता से समानता, सामाजिक न्याय एवं लोकतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति होगी। अभी महिला सशक्तीकरण के लिए बहुत रास्ते पार करने हैं, बहुत से कदम उठाने बाकी हैं, इसलिए लोचशील एवं प्रभावी रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। अतः महिला सशक्तीकरण ने अब पुरुष मानसिकता को बदला है। वे महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में हिस्सा लेने के लिए कई तरीकों से बढ़ावा दे रहें हैं। समय के साथ महिलाएं राजनीतिक कौशल प्राप्त कर रही है, नियम एवं प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझ रही है, और स्वयं के एजेंडे के अनुसार कार्य कर रही है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं। उनमें अन्याय और शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न होने साथ–साथ उनके व्यक्तित्व का भी विकास हुआ है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. जोशी, डॉ0 आर0पी0, एवं मंगलानी, डॉ0 रूपा, 2010, भारत में पंचायती राज, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
2. सईद, प्रो0 एस0 एम0, 2009, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, लखनऊ, भारत बुक सेन्टर, पृ0सं0 472, 481
3. बसु, डॉ0 दुर्गा दास, 2009, (आठवां संस्करण) : भारत का संविधान, नई दिल्ली, पृ0सं0 281, 289
4. कश्यप, सुभाष, हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, पृ0सं0 229
5. नारंग, डॉ0 ए0एस0, भारतीय लोकतन्त्र की समस्याएं एवं चुनौतियां,
6. जैन, डॉ0 पुखराज एवं फड़िया, डॉ0 बी0एल0, भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स
7. कटारिया, डॉ0 सुरेन्द्र, 2008, भारत निर्माण में पंचायती राज, कुरुक्षेत्र, अगस्त
8. सिंह, नरेन्द्र, 2010, पंचायती राज और महिला सशस्तीकरण, कुरुक्षेत्र, जून
9. मिश्रा, डॉ0 एस0के0, 2008, ग्रामीण विकास की धुरी है पंचायतीराज, कुरूक्षेत्र, अगस्त